

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

☎ : www.education.rajasthan.gov.in/secondary

☎ - 0151-2523666

✉ so.csection@gmail.com

—:: संशोधन आदेश ::—

इस कार्यालय द्वारा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) विभिन्न विषय का एसीपी आदेश जारी किया गया था, में संबंधित कार्मिक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर कॉलम संख्या 4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र स	नाम कार्मिक एवं पदस्थापन स्थान	मूल आदेश क्रमांक/दिनांक	जारी संशोधन जो किया जाना है
1	2	3	4
1	RAJENDRA KUMAR SHARMA (LET.- ECONOMICS) GSSS BHOIYON KI PACHOLI (223226) GIRWA, UDAIPUR	शिविरा/मा/संस्था/सी-5 /एसीपी/2020-21/833 दिनांक 21.09.2021	एसीपी आदेश दिनांक 21.09.2021 में क्रम संख्या 10 पर कॉलम संख्या 10 में अंकित PML-14 के स्थान पर PML-17 पढ़ा जावे।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/एसीपी/2020-21/1235

दिनांक : 23-02-2022

➤ प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. शासन उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि./मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
5. संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित आशार्थी।
6. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर